

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721

E-mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/बैणेश्वर धाम/2020-21/15113

दिनांक : 16/6/2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर।

विषय :- बैणेश्वर धाम में बाउण्डीवॉल निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग :- कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर के पत्रांक 274 दिनांक 07.06.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 1923-30 दिनांक 15.01.2021 द्वारा बैणेश्वर धाम पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर में बाउण्डीवॉल निर्माण, कांटेदार झाडिया हटाना एवं बाउण्डीवॉल के साथ प्लान्टेशन कार्य व गेट लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त किया गया।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त कार्य का तकनीकी मय तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्राप्त हुई है :-

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. in Lacs)
1	Civil Works/ Horticulture work	78.29
2	2.50% Contengency Charges & Work Charge	1.95
3	9.00% Board supervision Charges	7.22
	Grand Total	87.47
	0.25% Contengency Charges for TAD	0.20
	Transferable Amount Total	87.27

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 87.47 लाख की जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशा. स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति		हस्तांतरित राशि
			क्र./दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	बैणेश्वर धाम पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर में बाउण्डीवॉल एवं बाउण्डीवॉल के साथ प्लान्टेशन कार्य व गेट लगाना	0.00	SE/06/18.02.2021	87.47	43.63

उपरोक्त कार्यों पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-21/2020-21 जयपुर दिनांक द्वारा Infrastructure development at places of religious and historic importance for Tribals [Baneshwar (Dungarpur), Machind (Rajsamand) and Samai Mata (Banswara)] हेतु प्राप्त राशि रु. 300.00 लाख में से होगा।

शर्त :-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।

2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति भिजवाई जावे।
4. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटावे।
5. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. निविदा आदि कारणो से कार्य मे विलम्ब के कारण लागत मे वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
7. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

sd
(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक : यथोपरि / 15113- 23
प्रतिलिपि :

दिनांक : 16/6/2021

1. निजी सहायक, मा.राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन कृषि उपज मंडी उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या-21/2020-21 जयपुर दिनांक द्वारा Infrastructure development at places of religious and historic importance for Tribals [Baneshwar (Dungarpur), Machind (Rajsamand) and Samai Mata (Banswara)] हेतु प्राप्त राशि रु. 300.00 लाख मे से स्वीकृत राशि रूपये 87.47 लाख की हस्तांतरण योग्य राशि रूपये 87.27 लाख की प्रथम किस्त 50% राशि रूपये 43.63 लाख प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन जयपुर को हस्तांतरित करावे। विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609 दिनांक 12.03.2021 के क्रम मे हस्तांतरित राशि पर देय कन्टीन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत राशि रु. 1.17 लाख में से 0.25 प्रतिशत राशि रु. 0.10 लाख प्रोजेक्ट मोनिटरिंग हेतु आयुक्तालय में रखे जावे व पृथक से पुस्तांकन करे।
7. मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

Q
अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर